ऑनलाइन
साक्षात्कार पत्र के निर्देशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन कर व उन्हें भली–भांति समझने के पश्चात आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का प्रिंट निकालकर आवश्यक जानकारियों की प्रविष्टि कर साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें।

प्रावधिक–पत्र
विज्ञापन की शर्तों के अधीन

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

शंकर नगर मार्ग, रायपुर –492001
फोन नं. –0771–2439562, 2446556 (फैक्स), वेबसाइट–www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 662 /22/चयन/2021 दिनांक 07/10/2021

साक्षात्कार–पत्र

राज्य सेवा परीक्षा– 2020

महोदय/महोदया,

राज्य सेवा परीक्षा– 2020 के साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन साक्षात्कार तिथि के एक दिन पूर्व निर्धारित पाली **प्रथम पाली**–पूर्वान्ह 09.00 बजे से 12.00 बजे तक तथा **द्वितीय पाली**–अपरान्ह 01.00 बजे से 05.00 बजे तक किया जाकर निर्धारित तिथि को साक्षात्कार लिया जायेगा। दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यथियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2. साक्षात्कार के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि/समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नीचे लिखे निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें एवं आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थिति देवे।

2.1 राज्य सेवा परीक्षा– 2020 के साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित उक्त अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों की ऑनलाईन अग्रमान्यता अंकित करनी होगी। **ऑनलाईन अग्रमान्यता अभ्यर्थी दिनांक 12/10/2021 से 18/10/2021 तक प्रविष्टि कर अवश्य डाऊनलोड कर लेवें।** अभ्यर्थी अच्छी गुणवत्ता के ए 4 साईज पेपर पर अग्रमान्यता पत्रक का प्रिंट प्राप्त करेंगें। साथ ही अन्य आवश्यक दस्तावेज वेबसाइट से डाऊन लोड करना होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय जांचकर्ता के समक्ष अपने साथ लाए गए उक्त प्रिंट आउट तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। ऑनलाईन अग्रमान्यता का अंकन अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा। अंकित की गई अग्रमान्यता के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगें तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त हेतु वे अन्य को उत्तदरायी नहीं ठहरा सकेंगें। ऑनलाईन अग्रमान्यता भरने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा और न ही सुधार/परिवर्तन संबंधी किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन आयोग द्वारा स्वीकार किया जाएगा। (अतः अभ्यर्थी अग्रमान्यता पत्रक को पूर्ण सावधानी के साथ भरें।) निर्धारित अवधि में ऑनलाईन अग्रमान्यता दर्ज नही करने वाले अभ्यर्थियों की अग्रमान्यता, संबंधित विज्ञापन में विज्ञापित पदो के क्रम में ले ली जाएगी तथा इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।

2.2 सफलतापूर्वक ऑनलॉइन साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न चार दस्तावेज (1) जानकारी पत्रक (01 प्रति में), (2) अनुप्रमाणन–पत्र (03 प्रति में) **(तीनों प्रतियों को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य है।)** (3) उपस्थिति पत्रक (01 प्रति में) तथा (4) व्यक्तिगत विवरण (06 प्रतियों में) डाऊनलोड कर आवश्यक प्रविष्टियां कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुप्रमाणन पत्र एवं जानकारी पत्रक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं तथा इसमें त्रुटिपूर्ण/गलत जानकारी दिये जाने पर आपकी उम्मीद्वारी निरस्त की जा सकती है।

2.3 अनुप्रमाणन पत्रक के पहचान प्रमाण पत्र कॉलम में किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन (तीनों प्रतियों में) कराया जाना अनिवार्य है। **(अनुप्रमाणन पत्रक की छायाप्रति स्वीकार नहीं किया जायेगा)** अतः राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन कराकर ही अनुप्रमाणन पत्रक की हार्डकॉपी तीन मूल प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।

2.4 **राज्य सेवा परीक्षा– 2020** के पदों के लिए आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन क्रमांक 09/2020/परीक्षा/दिनांक 26/11/20120, रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 02/12/2020 **के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हता– विज्ञापिन की कंडिका (7), (i),(ii), अनुसार होना अनिवार्य है। यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंकसूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) दस्तावेज आयोग द्वारा समय–समय पर जारी शुद्धि पत्र एवं सूचना पत्रों में दर्शित अंतिम तिथि तक का मान्य होगा। उक्त तिथि के बाद के अंकसूची/उपाधि/प्रमाण पत्र/नवीन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगें। इस संबंध में अंकसूची/उपाधि प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा दो–दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।**

2.5 **यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, तो आवेदक को साक्षात्कार के लिये उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मध्यप्रदेश शासन के समय जारी किये गये प्रमाण पत्र का राज्य गठन के पश्चात पुनर्वैधिकृत प्रमाण पत्र अथवा राज्य गठन के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।**

2.6 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है तो राज्य गठन के पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किये गये अन्य पिछडा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, परन्तु यदि आप एकीकृत मध्य प्रदेश के समय का छत्तीसगढ राज्य की सीमाओं के अधीन जिले/अनुविभाग के द्वारा जारी किया गया ''जाति प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करते हैं तो उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को ''गैर क्रीमीलेयर'' में आने के संबंध में ''आय प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करना होगा तभी राज्य गठन के पूर्व जारी ''जाति प्रमाण पत्र'' (उल्लेखित अनुसार आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर) मान्य होगा। उल्लेखित अनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

2.7 छ.ग. राज्य के गठन के पश्चात अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर छ.ग. शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यदि यह जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन में दर्शित अंतिम तिथि के 3 वर्ष पूर्व का हो, तो उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को गैर क्रीमीलेयर में आने के संबंध में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.8 यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर शासकीय/निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं तो नियोक्ता /सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

2.9 यदि आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने के पश्चात् आपके उपनाम में परिवर्तन हुआ हो तो उपनाम परिवर्तन का शपथपत्र की दो–दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

2.10 जन्म तिथि के प्रमाण के संबंध में हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा से संबंधित मूल प्रति एवं दो–दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।

2.11 यदि आप निःशक्तजन हैं तो शारीरिक विकलांगता 40 प्रतिशत् या उससे अधिक हो तो चिकित्सा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो–दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति। छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी निःशक्तजन ही मान्य होंगे।

2.12 विज्ञापन की कंडिका 15**(iii) के अनुसार– छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किये गये है, ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित अभ्यर्थी मान्य नहीं होगें।) यदि वे भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अतः संबंधित प्रमाण पत्र दो–दों प्रतियों में सत्यापित अथवा स्व प्रमाणित प्रस्तुत करना होगा।**

2.13 यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं तथा आपने विज्ञापन में दर्शित अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट क्लेम किया है तो छूट क्लेम किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं दो–दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।

2.14 आपके द्वारा **<u>राज्य सेवा परीक्षा– 2020</u>** के लिए ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र की हॉर्ड कॉपी (प्रिंटआऊट) की प्रति के साथ–साथ पहचान–पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड या पेन कार्ड इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र की मूल प्रति एवं दो–दो छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3. **यदि आप उपरोक्तानुसार जानकारी (जो लागू होता हैं) के साथ उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको साक्षात्कार से वंचित किया जा सकेगा तथा आप उक्त पद हेतु वास्तव में सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति करते हैं अथवा नहीं, के निर्धारण करने का अधिकार आयोग का होगा एवं इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।**

4. साक्षात्कार के लिए यात्रा व्यय स्वयं अभ्यर्थी के द्वारा वहन की जाएगी, परन्तु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के केवल बेरोजगार **अभ्यर्थियों को उनके द्वारा बस/रेल टिकट प्रस्तुत किये जाने पर साधारण दर्जे का वास्तविक किराया राशि की पात्रता होगी।**

5. विशेष टीप :– उपर्युक्त के अतिरिक्त आपको साक्षात्कार के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जॉच के समय निम्नानुसार अभिलेख (साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से बुलाये जाने के फलस्वरूप), प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उपर्युक्त विषय पद हेतु आपकी उम्मीद्वारी आयोग द्वारा निरस्त की जा सकेगी।

6.1 **साक्षात्कार के पूर्व विज्ञापन के अनुसार निर्धारित अर्हता, आयु सीमा छूट क्लेम किया हो तो तत्संबंध में दस्तावेज, आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन हो तो निर्देश पैरा 2.3, 2.4 2.5 एवं 2.6 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अभाव में आपको साक्षात्कार के लिए अनर्ह कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।**

6.2 शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंक सूची (सभी वर्षो के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो–दो प्रति छायाप्रति प्रस्तुत करें।

6.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा।

6.4 विज्ञापन की कंडिका 8 के अनुसार आयु की गणना 01/01/2020 से की जायेगी।

6.5 दस्तावेज सत्यापन के समय **<u>राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2020</u>** के लिए किये गये ऑनलाइन आवेदन की दो प्रति जमा करना अनिवार्य है।

6.6 सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ एवं दो–दो छायाप्रतियाँ सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है, मूल प्रमाण पत्र के अभाव में प्रस्तुत करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा तथा अभ्यर्थियों से कोई वचन पत्र/अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6.7 नोवेल कोराना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु आयोग कार्यालय परिसर में केवल अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा, अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य के लिए प्रवेश निषेध है। अभ्यर्थियों को फेसमास्क लगाना एवं हेंड सेनेटाईजर रखना अनिवार्य है, जो अभ्यर्थी फेसमास्क एवं हेंड सेनेटाईजर के बिना साक्षात्कार हेतु उपस्थित होगा उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7.X.2021

परीक्षा नियंत्रक
छ.ग. लोक सेवा आयोग
रायपुर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

साक्षात्कार समय–सारिणी

राज्य सेवा परीक्षा–2020

(छत्तीसगढ़ शासन के अधीनस्थ विभाग)

दस्तावेज सत्यापन तिथि	साक्षात्कार तिथि	प्रथम पाली (सुबह 09:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
20-10-2021	21-10-2021	2009100937	2009110406
		2009101215	2009110410
		2009101946	2009110641
		2009102049	2009110653
		2009102131	2009110738
		2009102440	2009110781
		2009102447	2009110842
		2009102568	2009110916
		2009102654	2009111019
		2009102737	2009111258
		2009102858	2009111286
		2009102954	2009111313
		2009103523	2009111331
		2009103883	2009111403
		2009104232	2009111485
		2009105129	2009111541
		2009105401	2009111686
		2009105433	2009111694
		2009105793	2009111696
		2009105870	2009112016
		2009105884	2009112064
		2009106077	2009112099
		2009106241	2009112101
		2009107011	2009112175
		2009107235	2009112332
		2009108134	2009112463
		2009108298	2009112487
		2009108849	2009112503
		2009109322	2009113048
		2009109391	2009113146
		2009109504	2009113324
		2009109583	2009113381
		2009109604	2009113479
		2009109722	2009113866
		2009109900	2009114075
		2009110008	
		2009110111	
		2009110219	
		2009110241	
		2009110262	

Bikash

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

साक्षात्कार समय–सारिणी

राज्य सेवा परीक्षा–2020

(छत्तीसगढ़ शासन के अधीनस्थ विभाग)

दस्तावेज सत्यापन तिथि	साक्षात्कार तिथि	प्रथम पाली (सुबह 09:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
21-10-2021	22-10-2021	2009114158	2009118233
		2009114163	2009118244
		2009114210	2009118350
		2009114262	2009118376
		2009114301	2009118441
		2009114347	2009118507
		2009114348	2009118739
		2009114396	2009118787
		2009114442	2009118810
		2009114628	2009119181
		2009114643	2009119238
		2009114696	2009119256
		2009114874	2009119266
		2009114937	2009119387
		2009115023	2009119420
		2009115108	2009119583
		2009115113	2009119598
		2009115169	2009119644
		2009115224	2009119678
		2009115248	2009119727
		2009115257	2009119823
		2009115425	2009119917
		2009115681	2009119970
		2009115721	2009120197
		2009116205	2009120598
		2009116288	2009120876
		2009116352	2009120886
		2009116359	2009120919
		2009116449	2009121054
		2009116505	2009121103
		2009116612	2009121104
		2009116937	2009121218
		2009116985	2009121229
		2009116993	2009121362
		2009116994	2009121370
		2009117370	
		2009117516	
		2009117532	
		2009117750	
		2009118192	

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

साक्षात्कार समय–सारिणी
राज्य सेवा परीक्षा–2020
(छत्तीसगढ़ शासन के अधीनस्थ विभाग)

दस्तावेज सत्यापन तिथि	साक्षात्कार तिथि	प्रथम पाली (सुबह 09:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
22-10-2021	23-10-2021	2009121387	2009127089
		2009121638	2009127290
		2009121791	2009127348
		2009121815	2009127458
		2009121877	2009127542
		2009121984	2009127561
		2009122049	2009127630
		2009122294	2009127750
		2009122515	2009127779
		2009122556	2009127920
		2009122630	2009127958
		2009122713	2009128006
		2009122733	2009128037
		2009122827	2009128283
		2009122896	2009128325
		2009122898	2009128345
		2009122938	2009128464
		2009123906	2009128536
		2009123993	2009128726
		2009124015	2009128802
		2009124180	2009128880
		2009124489	2009128897
		2009124542	2009129246
		2009124550	2009129350
		2009124834	2009129467
		2009124853	2009129563
		2009124873	2009129575
		2009124890	2009129669
		2009124892	2009129678
		2009125812	2009129735
		2009125883	2009129835
		2009125908	2009130000
		2009125963	2009130107
		2009126224	2009130149
		2009126393	2009130392
		2009126644	
		2009126743	
		2009126818	
		2009126976	
		2009127062	

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

साक्षात्कार समय–सारिणी

राज्य सेवा परीक्षा–2020

(छत्तीसगढ़ शासन के अधीनस्थ विभाग)

दस्तावेज सत्यापन तिथि	साक्षात्कार तिथि	प्रथम पाली (सुबह 09:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
23-10-2021	25-10-2021	2009130450	2009139651
		2009130451	2009139735
		2009130638	2009140129
		2009130836	2009140139
		2009130899	2009140175
		2009131000	2009140281
		2009131112	2009140532
		2009131211	2009140871
		2009131246	2009141369
		2009131533	2009142222
		2009131592	2009142738
		2009131673	2009143064
		2009131715	2009143605
		2009131797	2009143805
		2009131920	2009143963
		2009132203	2009144084
		2009132300	2009144235
		2009132365	2009144466
		2009132418	2009144576
		2009132421	2009144614
		2009132433	2009144723
		2009132443	2009144779
		2009132547	2009145222
		2009132561	2009145323
		2009133089	2009145700
		2009133131	2009146836
		2009133285	2009146978
		2009133320	2009147582
		2009133451	2009148185
		2009133749	2009148613
		2009134272	2009149449
		2009134754	2009149646
		2009134763	2009149724
		2009135529	2009149868
		2009135933	2009150570
		2009136181	
		2009136385	
		2009137298	
		2009139372	
		2009139603	

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

साक्षात्कार समय–सारिणी

राज्य सेवा परीक्षा–2020

(छत्तीसगढ़ शासन के अधीनस्थ विभाग)

दस्तावेज सत्यापन तिथि	साक्षात्कार तिथि	प्रथम पाली (सुबह 09:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
25-10-2021	26-10-2021	2009150772	2009164389
		2009150877	2009164777
		2009151433	2009164828
		2009152087	2009165255
		2009152176	2009165304
		2009152735	2009166605
		2009153364	2009167250
		2009153588	2009167539
		2009153670	2009167550
		2009154059	2009167738
		2009154431	2009169630
		2009154457	2009170680
		2009154639	2009170759
		2009154730	2009170805
		2009154874	2009170976
		2009155215	2009172794
		2009155611	2009173166
		2009155833	2009173171
		2009156425	2009173691
		2009156453	2009174109
		2009156898	2009175053
		2009157391	2009175295
		2009157575	2009175301
		2009159847	2009175502
		2009159925	2009175857
		2009160035	2009175944
		2009160514	2009176166
		2009160565	2009176181
		2009161201	2009176384
		2009161229	2009176700
		2009161429	2009176779
		2009162074	2009177992
		2009162079	2009178118
		2009162134	2009178852
		2009162243	2009178865
		2009162376	
		2009162416	
		2009162709	
		2009163561	
		2009164277	

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

साक्षात्कार समय–सारिणी
राज्य सेवा परीक्षा–2020
(छत्तीसगढ़ शासन के अधीनस्थ विभाग)

दस्तावेज सत्यापन तिथि	साक्षात्कार तिथि	प्रथम पाली (सुबह 09:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
26-10-2021	27-10-2021	2009178901	2009187201
		2009179007	2009187209
		2009179072	2009187210
		2009179254	2009187263
		2009179472	2009187325
		2009179556	2009187594
		2009180059	2009187726
		2009180102	2009188258
		2009180356	2009188328
		2009180389	2009188827
		2009180585	2009189047
		2009180599	2009189104
		2009180622	2009189298
		2009180874	2009190006
		2009180899	2009190070
		2009181182	2009190329
		2009181656	2009190502
		2009182164	2009190676
		2009182324	2009190872
		2009182525	2009190891
		2009182631	2009191018
		2009182750	2009191617
		2009183156	2009191851
		2009183260	2009191861
		2009183595	2009191985
		2009184038	2009192808
		2009184220	2009193075
		2009184286	2009193204
		2009184636	2009193844
		2009184732	2009193873
		2009184885	2009194079
		2009185168	2009194123
		2009185287	2009194135
		2009185704	2009194163
		2009185912	2009194168
		2009186415	
		2009186434	
		2009186673	
		2009186708	
		2009186902	

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

साक्षात्कार समय–सारिणी

राज्य सेवा परीक्षा–2020

(छत्तीसगढ़ शासन के अधीनस्थ विभाग)

दस्तावेज सत्यापन तिथि	साक्षात्कार तिथि	प्रथम पाली (सुबह 09:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
27-10-2021	28-10-2021	2009194286	2009201151
		2009194326	2009201186
		2009194615	2009201612
		2009194634	2009201617
		2009195051	2009202517
		2009195119	2009203054
		2009195160	2009203216
		2009195414	2009203566
		2009195993	2009203762
		2009196044	2009203879
		2009196790	2009204035
		2009197108	2009204228
		2009197308	2009204782
		2009197313	2009205425
		2009197347	2009206311
		2009197534	2009206546
		2009197535	2009207078
		2009197587	2009207341
		2009197629	2009207754
		2009197777	2009208138
		2009198122	2009208657
		2009198504	2009208686
		2009198754	2009209624
		2009199422	2009209651
		2009199716	2009209780
		2009199723	2009209880
		2009199857	2009209928
		2009200055	2009210056
		2009200695	2009210307
		2009201045	2009210514

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

साक्षात्कार समय–सारिणी
राज्य सेवा परीक्षा–2020
(छत्तीसगढ़ शासन के अधीनस्थ विभाग)

दस्तावेज सत्यापन तिथि	साक्षात्कार तिथि	प्रथम पाली (सुबह 09:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
28-10-2021	29-10-2021	2009210769	
		2009210772	
		2009210889	
		2009210945	
		2009211089	
		2009211649	
		2009211741	
		2009212200	
		2009212652	
		2009213392	
		2009214979	
		2009215962	

टीप :– आयोग द्वारा साक्षात्कार बुलावा पत्र डाक के माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थी साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न दस्तावेज आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है।

7.X.2021
परीक्षा नियंत्रक
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर